

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 फरवरी 2026—माघ 23, शक 1947

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2026

क्र. 4-1-3-0117-2025-Sec-2-दस.—मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986 के नियम 8 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-1-24-दस-3, दिनांक 30 जून 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, खण्ड (क) में, उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(चार) “बमोरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, कटनी, जबलपुर, डिण्डोरी, अमरकंटक होते हुए छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में निकास.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2026

क्र. 4-1-3-0117-2025-Sec-2-दस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 4-1-3-0117-2025-Sec-2-दस, दिनांक 12 फरवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 12th February 2026

No. 4-1-3-0117-2025-Sec-2-X.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Grazing Rules, 1986, the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F.

7-1-24-X-3, dated 30th June, 1986, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in clause (a), after sub-clause (iii), the following clause shall be inserted, namely :—

(iv) "Bamori, Guna, Ashok nagar, Vidisha, Raisen, Sagar, Damoh, Narsinghpur, Katni, Jabalpur, Dindori, and exit via Amarkantak to the border of the State Chhatisgarh."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJBENDRA MISHRA, Ex-Officio Dy. Secy.